राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

377

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांक: 12 FEB 2019

468..
दि. 20/2/19

–:परिपत्र:–

विषय:–समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR Module द्वारा ऑन–लाईन अपना अचल सम्पति विवरण प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अपलोड किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जो राजपत्रित अधिकारी 31 जनवरी तक अचल सम्पति विवरण अपलोड नहीं करेगें उनके विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 17.05.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि जुलाई माह से आगामी 30 जून तक स्वीकृत नहीं की जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अपना वर्ष 2018 का अचल सम्पति विवरण ऑन–लाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2019 का अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2019 तक ऑन–लाईन भर दिया है उनको वर्ष 2018 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावें।

CCE
JSTE
DSHE-3

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 829
दिनांक 15/2/19

(रोली सिंह) 11/2/19
प्रमुख शासन सचिव

14/2/19

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10.तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग जयपुर।

19/2/19

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ( )प्रशा./आकाशि/2019/ 2497 दिनांकः– 25.02.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु –

1. समस्त प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय/राज संगीत संस्थान/राज स्कूल ऑफ़ आर्ट्स
2. श्री पंकज माथुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

25/2/19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।